न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :– सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

मिसल न0– 23 /2021

अनवान :–

1. माया शर्मा पत्नी नरेश कुमार जाति ब्राहम्ण निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. रामेश्वरी देवी पत्नी मनीराम जाति ब्राहम्ण निवासी बिरकाली तहसील नोहर।

सायलान

बनाम्

1. हेतराम पुत्र नानुराम जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

गैरसायल

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राज0 काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा, अभिभाषक, प्रार्थी

निर्णय दिनांक : 26/10/2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रार्थी की खातेदारी भूमि रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 478/414 की कुल 11.6380हैक्ट में से 1/2 हिस्सा भूमि सायला संख्या 1 के नाम तथा 1/2 हिस्सा भूमि सायला संख्या 2 के नाम से दर्ज है।

रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 667/555 की कुल 4.4790हैक्ट भूमि गैरसायल संख्या 1 के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

सायलान व गैरसायलान संख्या 1 गांव बिरकाली से चलकर स्वीकृत रास्ता से हुए गैरसायल के खेत रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 667/555 के प0न0 156/6(304) के किला न0 24/1 की 0.2280हैक्ट में से पूर्व 0.026हैक्ट भूमि में से होकर अपनी खातेदारी भूमि में प्रवेश करते है

सायलान को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये अन्य कोई स्वीकृत शुद्वा रास्ता नही है यही रास्ता सुविधाजनक है प्रार्थी अपने खेत में जाने के लिये उक्त रास्ता स्वीकृत करवा कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 667/555 के प0न0 156/6(304) के किला न0 24/1 की 0.2280हैक्ट में से पूर्व 0.026हैक्ट रास्ता स्वीकृत करने के आदेश फरमावे एवं रास्ते की भूमि के बदले में भूमि देने को तैयार है सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

सायलान का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को तलब किया गया गैरसायल प्रशासन गांव के संग अभियान में जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर सायलान के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की सायलान को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता स्वीकार किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल जबाब भी पेश किया जो शामिल मिसल किया गया ।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की सायलान एवं गैरसायल की आपसी सहमति के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखा जाकर रास्ताा स्वीकार किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

सायलान के अधिवक्ता ने निवेदन किया की सायलान के द्वारा चाहा गया रास्ता गैरसायल संख्या 1 देने को तेयार है किसी प्रकार का ऐतराज नही किया है अतः साायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाने

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

एवं रास्ते के बदले में भूमि गैरसायल संख्या 1 ता 5 के नाम दर्ज करने के आदेश फरमावे।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया सायल एवं गैरसायल दोनो एक दुसरे के चिपते हुए खातेदार काश्तकार है सायलान अपनी खाातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है सायलान के कथनों गैरसायलान से स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की सायलान की भूमि में जाने के लिये रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है अर्थात सायलान एवं गैरसायल की रास्ता स्वीकृत करने में सहमति हो चुकी है।

किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता दिया जाना भी न्यायोचित है एवं सायल एवं गैरसायल की आपसी सहमति के आधार पर सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः साायल एवं गैरसायल की आपसी सहमति के आधार पर सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायल न0 1 की रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 667/555 की कुल 4.4790हैक्ट भूमि के प0न0 156/6(304) के किला न0 24/1 की मिन पूर्व 0.026हैक्ट भूमि में रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा सायलान रास्ता में जितनी भूमि आती है के बदले में रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 478/414 की कुल 11.6380हैक्ट के प0न0 156/6(304) के किला न0 19 की दक्षिण की 0.026हैक्ट भूमि गैरसायल संख्या 1 हेतराम को देगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व नोहर को आदेश जारी किया जाकर शामिल मिसल किया गया व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26/10/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

..2

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

क्रमांक : राजस्व / 2020 /2514/23 दिनांक 26/10/2021

तहसीलदार,(राजस्व)
नोहर

विषय :– स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के सम्बध में प्रार्थना–पत्र सं0 23 सन 2021 निर्णय दिनांक

अनवान :–

अनवान :–

1. माया शर्मा पत्नी नरेश कुमार जाति ब्राहम्ण निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. रामेश्वरी देवी पत्नी मनीराम जाति ब्राहम्ण निवासी बिरकाली तहसील नोहर।

सायलान

बनाम्

1. हेतराम पुत्र नानुराम जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

गैरसायल

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर आदेश दिया गया है कि गैरसायल न0 1 की रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 667 / 555 की कुल 4.4790हैक भूमि के प0न0 156 / 6(304) के किला न0 24 / 1 की मिन पूर्व 0.026हैक भूमि में रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा सायलान रास्ता में जितनी भूमि आती है के बदले में रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 478 / 414 की कुल 11.6380हैक के प0न0 156 / 6(304) के किला न0 19 की दक्षिण की 0.026हैक भूमि गैरसायल संख्या 1 हेतराम को देगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर पालना रिपोर्ट तुरन्त प्रस्तुत करे।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

उपखण्ड अधिकारी
नोहर